

Auraiya: नकली नोटों के साथ चार तस्कर गिरफ्तार; आरोपी बोले- लोगों को इस तरह जाली नोट थमाकर कमाते थे मुनाफा



औरैया, अमृत विचार। पुलिस अधीक्षक चारू निगम के पर्यवेक्षण में थाना दिबियापुर, एसओजी व सर्विलांस टीम के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 4 नकली नोट तस्करों को गिरफ्तार किया है।

8 सितंबर की रात को थाना दिबियापुर, एसओजी, सर्विलांस टीम द्वारा संयुक्त रूप से रात में चेकिंग के दौरान दिबियापुर थाना क्षेत्र में थे। इस दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि ककोर बम्बा पुलिया की ओर से कनारपुर की तरफ रोड पर एक सफेद रंग की गाड़ी खड़ी है जो कि संदिग्ध प्रतीत होती है।

जिस पर संयुक्त पुलिस टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए संदिग्ध वाहन से 4 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर गाड़ी सवार आरोपियों की तलाशी करने पर उनके कब्जे से 500-500 राशि के नकली व असली नोटों से बने 4 मिश्रित नोटों के बंडल समय बरामद किए गए।

गिरफ्तारी के आधार पर थाना दिबियापुर में मुकदमा दर्ज किया गया। बरामद गाड़ी को सीज किया गया। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पूछताछ पर आरोपियों ने बताया कि ये लोग इसी गाड़ी से घूम फिर कर आस-पास के इलाकों व जिलों में छोटी रकम को दोगुना कर असली नोट देकर विश्वास में लेते हैं।

उसके बाद बड़ी डील होने पर नोटों की नकली गड्डी के ऊपरी व निचली सतह पर असली नोट लगाकर उसको सफाई करते हैं और प्राप्त मुनाफे को आपस में बांट लेते हैं। आज भी ये अपने एजेंट के पास आये थे और उसके बताये स्थान पर रुककर उसका इंतजार कर रहे थे।

गिरफ्तार आरोपियों में प्रदीप यादव पुत्र राम लक्ष्मण निवासी ग्राम धरमपुरा पोस्ट बैरला थाना कुठौन्द जनपद जालौन, योगेन्द्र शर्मा उर्फ अब्बू पुत्र रमाकान्त शर्मा निवासी नई बस्ती सैनिक कालौनी थाना कुठौन्द जालौन, विशाल सिंह सेंगर पुत्र कृष्ण पाल सेंगर निवासी काशीराम कालौनी औरैया व जैनुल खान पुत्र वाशुल खान निवासी मुहल्ला सागर कुआ थाना कठौन्द जनपद जालौन हैं।

क्षेत्राधिकारी सदर ने बताया कि गिरफ्तारी करने वाली टीम में प्रभारी एसओजी, सर्विलांस निरीक्षक राजीव कुमार, प्रभारी निरीक्षक थाना दिबियापुर मुकेश बाबू चौहान एवं उनकी टीम शामिल थी।

Source: <https://www.amritvichar.com/article/491244/auraiya-four-smugglers-arrested-with-fake-notes-accused-said#gsc.tab=0>